संख्या– 714 /2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड नियंत्रण हेतु निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–709/2021–सीएक्स–3, दिनांक 16.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 35 घण्टे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान कतिपय प्रतिबन्ध लगाये गये हैं।

2. इस संबंध में विचारोपरांत लगाये गये प्रतिबन्धों में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

(1) रविवार को कन्टीन्यूस प्रोसेस इण्डस्ट्री (Continuous Process industry) को चलाने की अनुमति के साथ–साथ साप्ताहिक बन्दी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड–19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योगों जैसे कि दवा, सेनेटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। कार्मिकों/श्रमिकों को तदनुसार आने–जाने की अनुमति होगी।

(2) शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप कोविड–19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सभी शादी के समारोह में बन्द स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबन्ध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

(3) एन0डी0ए0 (N.D.A.) की परीक्षा एवं अन्य निर्धारित परीक्षा हेतु कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई0डी0 कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।

(4) कोविड–19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।

(5) अन्तिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

(6) प्रेस प्रिन्ट/इजेक्ट्रॉनिक मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, राजस्व/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उ.प्र.।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुमार प्रशान्त)
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner